रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 298] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, नवम्बर 21, 1974/कार्तिक 30, 1896

No. 298] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 1974/KARTIKA 30, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 21st November, 1974

G.S.R. 662(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) read with clause (h) of sub-rule (3), of rule 114 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for securing the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, and for securing the equitable distribution and availability of jute textiles at fair prices, hereby fixes the price mentioned in column (4) of the First Schedule appended to this Order as the maximum ex-factory price at which the varieties of jute textiles mentioned in the corresponding entries in column (2) of the said schedule that had been purchased or sold during the months of April, 1974 to October, 1974.

Provided that the price so fixed in respect of the variety of jute textiles mentioned in Serial No. 1 of the First Schedule appended to this Order shall be reduced to the extent specified in column (2) or column (3) of the Second Schedule appended to this order in respect of the minimum breaking strength specified in the corresponding entries in column (1) of the Second Schedule:

Provided further that the prices specified in this Order are liable to be revised and finally fixed at such rates as may be determined by the Central Government after taking into consideration the recommendations of the Tariff Commission and the prices so finally fixed shall be the prices at which the supplier is entitled to be paid for deliveries made in the respective months.

Explanation.—For the purposes of this Order, the price specified in the First or Second Schedule appended to this Order shall be exclusive of the duty of excise and the sales tax shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

2. Nothing in this Order shall apply to any quantity of jute textiles which may be exported during the months specified in paragraph 1 pursuant to any contract entered into before the commencement of this Order.

THE FIRST SCHEDULE

Sl. No.	Category of jute bags	Maximum ex-factory price per 100 bags	
		Month of supplies	Price applicable
1	2	3	4
			Rs.
1	Standard B. Twill bags of the size 43½″×26½″ WIP 44″×26½″ HD 2¼″ lbs. per bag, 6×8, 3 blue, dry and conforming in all other respects to the current ISI, specification (No.IS:2566-1965 as amended up-to-date).	April, 74	239·94
		May, 74	237·35
		June, 74	236·08
		July, 74	238·86
		August, 74	254·97
		September 74	266·55
		October, 74	285·96
2	DW Flour Bags 43½″×28″ HD weight in proportion 56″×28″ HD, 2½ lbs. per bag 7×9 or 8×8 plain dry sewn.	April, 74	217·32
		May, 74	217·36
		June, 74	216·22
		July, 74	218·65
		August, 74	233·69
		September, 74	243·91
		October, 74	261·02

THE SECOND SCHEDULE

Minimum breaking strength	Reduction in price per 100 bags warp way	Weft way
1	2	3
ISI Standard Breaking strength	160 Kg.	165 Kg.
	Rs.	Rs.
160	..	0·55
155	0·39	1·02
150	1·06	1·50
145	1·62	2·11
140	2·24	3·42
135	2·86	4·27
130	3·42	..

This order is in modification of this Ministry's orders regarding fixation of prices of jute textiles detailed below:—

GSR-188(E), dated 27th April, 1974.
GSR-240(E), dated 16th May, 1974
GSR-269(E), dated 14th June, 1974.
GSR-321(E), dated 15th July, 1974.
GSR-370(E), dated 20th August, 1974.
GSR-389(E), dated 11th September, 1974.
GSR-425(E), dated 16th October, 1974.

[No. 18012 1/75-Tex.(D)]
K. RAMANUJAM, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1974

जी० एस० आर० 662 (अ).—भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 114 के उप-नियम (3) के खंड (एच) के साथ पठित, उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, ऐसी राय होने पर कि समाज के जीवन के लिये अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई तत्संबंधी सेवाओं को जारी रखने के उद्देश्य से और पटसन वस्त्रों के न्यायोचित वितरण और उचित मूल्यों पर उस की उपलब्धि के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक और उचित है, एतद्द्वारा, इस आदेश से संलग्न प्रथम अनुसूची के कालम (4) में उल्लिखित मूल्य, ऐसे अधिकतम एक्स फैक्टरी मूल्य के रूप में निश्चित करती है, जिस पर उक्त अनुसूचि के कालम 2 की तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित पटसन के वस्त्रों की किस्में अप्रैल 74 से अक्टूबर, 1974 के मासों में खरीदी या बेची गई थीं।

परन्तु इस आदेश से संलग्न प्रथम अनुसूची की संख्या 1 में उल्लिखित पटसन के वस्त्रों की किस्म के बारे में इस प्रकार से निश्चित किये गये मूल्य को, इस आदेश से संलग्न द्वितीय अनुसूची के कालम (1) की तदनुरूपी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट न्यूनतम धारण क्षमता (वेकिंग स्ट्रैंथ) के अनुसार उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम (2) या कालम (3) में बताई गई सीमा तक घटाया जायेगा।

परन्तु आगे इस आदेश में निर्दिष्ट कीमतें संशोधित की जा सकती हैं और अंत में ऐसी दर पर निर्धारित की जायेंगी जो कि टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित की जायें तथा इस प्रकार अंतिम रूप से निर्धारित कीमत वह कीमत होगी जिस पर संभरक को उन महीनों में सुपुर्दगियों के लिये भुगतान प्राप्त करने का हक है।

स्पष्टीकरण—इस आदेश के प्रयोजन के लिये, इस आदेश से संलग्न प्रथम या द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट मूल्यों में उत्पादन शुल्क और बिक्री कर शामिल नहीं है, जिन्हें खरीदार को हो, वास्तविक आंकड़ों के आधार पर, एक्स फैक्टरी मूल्य के अतिरिक्त अदा करना होगा।

2. इस आदेश में दी हुई कोई भी बात पटसन वस्त्रों की ऐसी किसी भी मात्रा पर लागू नहीं होगी, जो इस आदेश के लागू होने से पहले किये गये किसी भी ठेके के अनुसरण में पैरा 1 में निर्दिष्ट मास के दौरान निर्यात की गई हो।

प्रथम अनुसूची

क्रम सं०	पटसन के बोरों का दर्जा	अधिकतम एक्स-फैक्टरी मूल्य प्रति 100 बोरे	
		जिस महीने सप्लाईयां की गईं	लागू कीमत
1	2	3	4
1	स्टैण्डर्ड बी ट्विल, बोरे साइज $43\frac{1}{2}'' \times 26\frac{1}{2}''$	अप्रैल, 74	239.94
	जिसका वजन $44'' \times 26\frac{1}{2}''$ एच डी $2\frac{1}{4}$	मई, 74	237.35
	पौंड प्रति बोरी 6×8, 3 ब्लयू, खुश्क सिली	जून, 74	236.08
	हुई के अनुपात में हो और जो शेष सभी प्रकार	जुलाई, 74	238.86
	के वर्तमान आई० एस० आई० की विशिष्टियों	अगस्त, 74	254.97
	के अनुरूप हो (सं० आई० एस० 2566–1965	सितम्बर, 74	266.55
	अद्यतन तथा संशोधित)।	अक्तूबर, 74	285.96

1	2	3	4
			रुपये
2	डी० डब्ल्यू० आटे के बोरे $43\frac{1}{2}$ 28" एच० डी० अनुपात के अनुसार वजन, 56" × 28" एच० डी० $2\frac{1}{2}$ पौंड प्रति वर्ग, 7 × 9 या 8 × 8 सादा, खुश्क सिला हुआ।	अप्रैल, 74	217.32
		मई, 74	217.36
		जून, 74	216.22
		जुलाई, 74	218.65
		अगस्त, 74	233.69
		सितम्बर, 74	243.91
		अक्तूबर, 74	261.02

द्वितीय अनुसूची

न्यूनतम धारण क्षमता (मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रैंथ)	प्रति 100 बोरों के मूल्यों में कमी (ताने में)	(बाने में)
आई० एस० आई० स्टैण्डर्ड (ब्रेकिंग स्ट्रैंथ)	160 कि०ग्रा०	165 कि०ग्रा०
	रुपये	रुपये
160	—	0.55
155	0.39	1.02
150	1.06	1.50
145	1.62	2.11
140	2.24	3.42
135	2.86	4.27
130	3.42	—

यह आदेश पटसन वस्त्रों की कीमतों के निर्धारण के सम्बन्ध में इस मंत्रालय के नीचे दिये गये आदेशों में उपान्तरण करते हुए हैं।

जी एस आर—188 (ई) दिनांक 27-4-1974
जी एस आर—240 (ई) दिनांक 16-5-1974
जी एस आर—269 (ई) दिनांक 14-6-1974
जी एस आर—321 (ई) दिनांक 15-7-1974
जी एस आर—370 (ई) दिनांक 20-8-1974
जी एस आर—389 (ई) दिनांक 11-9-1974
जी एस आर—425 (ई) दिनांक 16-10-1974

[सं० 18012/1/73-टैक्स (डी)]

के० रामानुजम, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974